राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

प0क्र:-9(13)राज-6/05 जयपुर, दिनांक:-

समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान।

विषय:- "प्रशासन शहरों की ओर" अभियान में राजस्व विभाग से संबंधित कार्यों के संपादन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा "प्रशासन शहरों की ओर" अभियान दिनांक 16.6.05 से शुरू किया जा रहा है, इस अभियान में राजस्व विभाग से संबंधित निम्नलिखित कार्य संपादित किए जायेंगे:-

(1) शहरी क्षेत्र एवं शहरों के पेरीफेरल क्षेत्र में स्थित राजकीय सिवायचक भूमि को स्थानीय निकाय को 40 गुना लगान का पूंजीगत मूल्य लेकर हस्तान्तरण की कार्यवाही करना:-

शहरी क्षेत्रों में स्थित राजस्व सिवायचक भूमियों को शहरी निकाय द्वारा चाहे जाने पर 40 गुना लगान के बराबर पुंजीगत मूल्य लेकर उन्हें देने के आदेश राजस्व विभाग द्वारा पूर्व में सभी जिला कलेक्टरों, संभागीय आयुक्तों, निदेशक, स्थानीय निकाय और शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय परिपत्र दिनांक 18.9.02 एवं 29.7.03 के द्वारा भेजे जा चुके हैं। पेराफेरी कानूनन स्थानीय निकाय के क्षेत्र में वर्तमान में नहीं है, परन्तु भविष्य में शहर बढ़ने पर स्थानीय निकाय का क्षेत्र बढने पर शहर का भाग हो जायेगा। इस कारण पेराफेरी का विकास मास्टर प्लान को ध्यान में रखकर होगा। परन्तु उसमें स्थित राजस्व/सिवाय चक भूमियों का आवंटन/नियमन कृषि हेतु नहीं किया जायेगा।

(2) अतिक्रमित राजकीय सिवायचक भूमि का लगान का 40 गुना के बराबर पुंजीगत मूल्य लेकर स्थानीय निकाय विभाग के मांगने पर उनको हस्तान्तरित करना व रेकार्ड में इन्द्राज करना।

(3) शहरी क्षेत्रों में स्थित कृषि सीलिंग सरप्लस भूमि को सीलिंग आवंटन नियमों के अनुसार राशि लेकर स्थानीय निकाय द्वारा चाहने पर उनको आवंटन करना व इन्द्राज करना।

(4) शहरी क्षेत्र में स्थित कस्टोडियन कृषि भूमियों को नगरपालिका द्वारा चाहे जाने पर कस्टोडियन कृषि भूमि आवंटन नियमों के अनुरूप राशि जमा कराने पर नगरपालिका को आवंटन करना व रेकार्ड में इन्द्राज करना।